उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग–1
संख्याः — / ।।–2018–01(29)(18)–2011 / 2013
देहरादूनः दिनांक ०१ फरवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

श्री गोविन्द बल्लभ पाण्डेय, जो कि अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.12.2017 को सेवानिवृत्त हुए है, द्वारा उनसे कनिष्ठ की सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति की तिथि से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त कार्मिक एवं लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 11.05.2006 द्वारा उ0प्र0 एवं उत्तराखण्ड राज्यों के मध्य कार्मिकों का अन्तिम विभाजन किया गया, जिसमें श्री गोविन्द बल्लभ पाण्डेय को उ0प्र0 राज्य आवंटित किए जाने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या–1543 दिनांक 15.5.2007 द्वारा उन्हें उ0प्र0 हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री पाण्डेय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या–552 / 2007 दायर करते हुए स्थगन आदेश प्राप्त किये गये, तदोपरान्त उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 09.05.2012 को निम्न आदेश पारित किए गएः–

" We accordingly, declare that for all practical purposes, it must be deemed that the petitioners have been allocated to the State of Uttarakhand and, accordingly, the order dated 15 May 2007 relieving them for joining the State of Utter Pradesh is quashed. Before we part, we record that it is not the contention of the state of Uttarakhand that in view of non availability of sanctioned posts, petitioners in the writ petition cannot be accommodated."

3– श्री पाण्डेय द्वारा मा0 उच्च न्यायलय, नैनीताल में दायर अवमाननावाद को दृष्टिगत रखते हुये शासनादेश संख्या–40 / ।।–2013–06(रिट 35) / 2013, दिनांक 07.02. 2013 द्वारा वादी को **भारत सरकार द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 22638 / 22639 / 2012 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय तथा तत्कम में भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों के प्रतिबन्ध के अधीन उत्तराखण्ड राज्य आवंटित किया गया।** मा0 उच्चतम न्यायालय, द्वारा उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका आदेश दिनांक 07.10.2016 में खारिज किये जाने के उपरान्त शासनादेश संख्या 2018 दिनांक 17.10.2017 द्वारा श्री गोविन्द बल्लभ पाण्डेय, कनिष्ठ अभियन्ता को उत्तराखण्ड राज्य आंवटित किए जाने के आदेश निर्गत किए गए।

4– उत्तराखण्ड राज्य आवंटित होने के उपरान्त विभाग द्वारा दिनांक 28.12.2016 को इनकी वरिष्ठता (उ0प्र0 स्तर पर निर्धारित वरिष्ठता के आधार पर) कमांक–116 ए पर निर्धारित की गयी तथा लोक सेवा आयोग की संस्तुति की कम में श्री पाण्डेय को चयन वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के सापेक्ष विज्ञप्ति संख्या–426, दिनांक 10.03.2017 द्वारा सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी। जबकि उनसे कनिष्ठ कार्मिक श्री महेन्द्र सिंह नागरकोटी, जिनका नाम वरिष्ठता सूची में कमांक–117 पर अंकित है, की सहायक अभियन्ता के पद पर चयन वर्ष 2005–06 की रिक्तियों के सापेक्ष शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1125, दिनांक 14.05.2010 द्वारा पदोन्नति की गयी है।

5— श्री गोविन्द बल्लभ पाण्डेय की वरिष्ठता अन्तिम रूप से निर्धारित होने एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.05.2012 का अनुपालन पूर्ण रूप से किये जाने के दृष्टिगत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर उनसे कनिष्ठ की पदोन्नति तिथि से नोशनल पदोन्नति पर विचार किये जाने हेतु अधियायचन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया।

6— उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में दिनांक 15 जनवरी, 2018 को सम्पन्न चयन समिति की बैठक की संस्तुति जो कि आयोग के पत्र संख्या—527/32/ई—1/डी.पी.सी./2017—18 दिनांक 24 जनवरी, 2018 के द्वारा प्राप्त हुई है, में श्री गोविन्द बल्लभ पाण्डे, सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके कनिष्ठ की पदोन्नति तिथि से नोशनल पदोन्नति हेतु निम्नवत् संस्तुत किया गया है:—

चयन वर्ष 2005—06

पोषक संवर्ग डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)

क्र. सं.	ज्येष्ठता क्रमांक	नाम (सर्वश्री)	जन्मतिथि	कनिष्ठ अभियन्ता, के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि
1.	116ए	गोविन्द बल्लभ पाण्डेय	12.12.1957	19.06.1979

7— लोक सेवा आयोग के उपरोक्त संस्तुति के कम में श्री गोविन्द बल्लभ पाण्डेय को उनसे आसन्न कनिष्ठ श्री महेन्द्र सिंह नागरकोटी की सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर विज्ञप्ति संख्या—1125/।।—2010—01(108)/2002 दिनांक 14.05.2010 द्वारा की गयी पदोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

8— श्री पाण्डेय को सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नोशनल पदोन्नति की तिथि 14.05.2010 से वास्तविक पदोन्नति की तिथि 10.03.2017 तक वेतन आदि के समस्त परिणामी लाभ प्राकल्पित रूप से तथा वास्तविक पदोन्नति की तिथि 10.03.2017 से वास्तविक रूप से अनुमन्य होगे।

9— उक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या—1782/एस.एस./2012 श्री अवनीश कुमार भट्नागर व अन्य बनाम राज्य, रिट याचिका संख्या—267/2010 श्री एस.के. सिंह बनाम राज्य में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के परित निर्णय के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या—14737/2012 श्री एस.के.सिंह व अन्य बनाम राज्य एवं मा. उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या—151/एस.एम./2010 श्री मनीश सेमवाल बनाम राज्य व मा0 सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. संख्या—846—847/2012 श्री अजय भट्ट व अन्य बनाम राज्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगें।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 166/।।(।)—2018—01(29)(18)—2011/2013 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. महालेखाकार, आडिट वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. निजी सचिव, विभागीय मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को उनके पत्र संख्या 527/32 /ई0–1/डी0पी0सी0/2017–18 दिनांक 24.01.2018 के क्रम में।
6. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित कार्मिक, द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
8. निदेशक, सूचना राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(रणजीत सिंह)
उप सचिव।